

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

प्रार्थी/अपीलांट

श्री महेन्द्र गोयल पुत्र स्व. श्री सुन्दरसिंह
जाति गोयल
निवासी नयावास नं. 02 वार्ड नं. 31 सिरौही।
जिला सिरौही।
किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 5 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	<p>अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को एक प्रार्थना पत्र देकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा उनका आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 581-582 दिनांक 01.11.2021 के जिला कोषाधिकारी सिरौही को स्थानान्तरित कर दिया गया था, लेकिन जिला कोषाधिकारी सिरौही द्वारा निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को एक प्रार्थना पत्र देकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा उनका आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 581-582 दिनांक 01.11.2021 के जिला कोषाधिकारी सिरौही को स्थानान्तरित कर दिया गया था। यह है कि जिला कोषाधिकारी सिरौही द्वारा अपीलांट को उक्त सूचना निर्धारित समयवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर कोषाधिकारी सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरौही

